



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2012/भाद्र 28, 1934

No. 469]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2012/BHADRA 28, 1934

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 703(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) भारत मौसम विज्ञान सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक उसका संबंध निदेशक और मौसम विज्ञानी श्रेणी- I के पदों से है, (2) मौसम विज्ञान महानिदेशक, अपर महानिदेशक और उप महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1994 को, जहां तक उसका संबंध मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक और मौसम विज्ञान उप महानिदेशक के पदों से है और (3) महासागर विकास विभाग के वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एफ', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'डी' तथा वैज्ञानिक 'सी' (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक इनका संबंध (वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एफ', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'डी' तथा वैज्ञानिक 'सी' के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करके हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय [वैज्ञानिक समूह 'क' पद] भर्ती नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. पदाभिधान, पारस्परिक ज्येष्ठता, न्यूनतम अर्हक अवधि आदि.- (1) भारतीय मौसम विज्ञान सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1978, मौसम विज्ञान महानिदेशक, अपर महानिदेशक और उप महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1994 और महासागर विकास विभाग (समूह 'क' पद) (वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एफ', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'डी' तथा वैज्ञानिक 'सी' भर्ती नियम, 2005 के उपबंधों के अनुसरण में नियमित आधार पर नियुक्त और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थिकी केन्द्र, एकीकृत तटवर्ती और समुद्री क्षेत्र प्रबंध और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में कार्यरत समूह 'क' अधिकारी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उपदर्शित पदाभिधान के पदधारी उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित पद से पदाभिहित होंगे और इन नियमों के प्रारंभ से इस प्रकार पद धारण करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	विद्यमान पदाभिधान	तत्स्थानी नया पदाभिधान
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक 'जी' / मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक	वैज्ञानिक 'जी'
2.	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'एफ'
3.	वैज्ञानिक 'ई' / मौसम विज्ञान उप महानिदेशक	वैज्ञानिक 'ई'
4.	वैज्ञानिक 'डी' / निदेशक	वैज्ञानिक 'डी'
5.	वैज्ञानिक 'सी' / मौसम विज्ञानी श्रेणी-I	

2. इन नियमों के अधीन किसी पद के लिए पारस्परिक ज्येष्ठता, इस विषय से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी उनके कार्यालय ज्ञापन द्वारा बनाई गई उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपांतरित सुनम्य स्कीम कहा गया है) द्वारा बनाई गई उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अध्यक्षीन होंगे और उक्त पद नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि के अधीन विनिर्दिष्ट वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान में आएंगी और अगली श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए किसी श्रेणी में काम करने से संबद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अवधि निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	पदाभिधान	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान	अगली श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए उस श्रेणी में काम करने से संबद्ध न्यूनतम अर्हक अवधि
1.	वैज्ञानिक 'जी'	वेतन बैंड-4, वेतनमान (37400-67000रु.), ग्रेड वेतन 10,000रु.	
2.	वैज्ञानिक 'एफ'	वेतन बैंड-4, वेतनमान (37400-67000रु.), ग्रेड वेतन 8,900रु.	5 (पांच) वर्ष
3.	वैज्ञानिक 'ई'	वेतन बैंड-4, वेतनमान (37400-67000रु.), ग्रेड वेतन 8,700रु.	5 (पांच) वर्ष
4.	वैज्ञानिक 'डी'	वेतन बैंड-3, वेतनमान (15600-39100रु.), ग्रेड वेतन 7600रु.	4 (चार) वर्ष
5.	वैज्ञानिक 'सी'	वेतन बैंड-3, वेतनमान (15600-39100रु.), ग्रेड वेतन 6600रु.	4 (चार) वर्ष
6.	वैज्ञानिक 'बी'	वेतन बैंड-3, वेतनमान (15600-39100रु.), ग्रेड वेतन 5400रु.	3 (तीन) वर्ष

5. उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन चयन या पुनर्विलोकन के लिए प्रोन्नति और प्रक्रिया पर विचार करने के लिए मानदंड - 1 जनवरी, 2011 से प्रभावी उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' की श्रेणी से वैज्ञानिकों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित पुनर्विलोकन या चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) चयन की प्रक्रिया - (i) निर्धारण के दो स्तर होंगे जिसमें से पहला छानबीन के प्रयोजन के लिए आंतरिक स्तर पर और अगला स्तर निर्धारण के प्रयोजन के लिए होगा ।

(ii) निर्धारण बोर्ड द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई के पहले उन्नयन के लिए विचार किया जाएगा और जिन्होंने, यथास्थिति, 1 जनवरी या 1 जुलाई के पश्चात् तीन मास से पहले या तीन मास की अवधि के दौरान उस पद में रेजिडेंसी की ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, उन पर उस तारीख को अगली उच्चतर श्रेणी में उन्नयन (स्वस्थान प्रोन्नति) के लिए विचार किया जाएगा ।

(iii) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर बिताई गई अवधि जो किसी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक अनुभव या फील्ड अनुभव अर्जित करने के लिए सहायक है और अध्ययन छुट्टी या कोई अन्य शैक्षणिक पूर्ति के सुधार के लिए की गई किसी अन्य छुट्टी की अवधि को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम), 1972 के अनुसार मंजूर की गई प्रसूति छुट्टी, एक बार में एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए मंजूर की गई अर्जित छुट्टी [केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम), 1972 के अधीन अधिकतम सीमा] की गिनती प्रोन्नति के लिए अर्हक अवधि के रूप में की जाएगी किंतु किसी गैर वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर बिताई गई अवधि तथा छुट्टी की अवधि जिसके अंतर्गत अस्वस्थता के आधार पर छुट्टी, वैयक्तिक आधार पर उपभोग की गई असाधारण छुट्टी की गिनती अर्हक अवधि के लिए नहीं की जाएगी ।

(ख) छानबीन की प्रक्रिया : (i) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन उन्नयन के मानदंड के लिए वार्षिक कार्याकन रिपोर्ट या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए एक छानबीन समिति नामत्: आंतरिक श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समिति गठित की जाएगी ।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतर्िक्ष या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के किसी ऐसे बाहरी सदस्य को, जिसने वर्षों से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सराहनीय वैज्ञानिकों की छानबीन की कोई परिष्कृत तालमेल प्रणाली विकसित कर ली हो, चयन प्रक्रिया में सहयोजित किया जा सकेगा ।

(iii) उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के उपबंधों के अनुसार पात्र सभी वैज्ञानिकों की, और जिन्होंने वैज्ञानिक सी के लिए 'अच्छ' और वैज्ञानिक डी के लिए 'बहुत अच्छ' या उसके ऊपर की संदर्भिका को पूरा किया हो, छानबीन की जाएगी ।

(iv) आंतरिक पीयर रिव्यू कमिटी निम्नलिखित रिपोर्ट रूप विधान में वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक विषय वस्तु पर रिपोर्ट करेगी और उसे बाहरी निर्धारण समिति को उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात् :-

आंतरिक श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समिति रिपोर्ट

1. रिपोर्ट किए गए कार्य की विज्ञान और तकनीकी विषय वस्तु का श्रेणीकरण
2. मान्यताप्राप्त विशिष्ट नवोत्पाद तत्व

(क)

(ख)

(ग)

3. समान क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट किए गए कार्य का सापेक्ष निर्धारण
सर्वोच्च स्थान 10% 10-33% 50-75% निम्नतम स्थान 25%

4. रेजीडेंसी अवधि के दौरान किए गए कार्य का निर्धारण

5. किए गए कार्य की विज्ञान और तकनीकी विषय वस्तु की विशिष्ट मुख्य-मुख्य बातें

6. रेजीडेंसी अवधि के लिए विज्ञान और तकनीकी कार्य रिपोर्ट का समग्र श्रेणीकरण

सर्वोच्च स्थान 10% 10-33% 50-75% निम्नतम स्थान 25%

श्रेष्ठी समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर

(ग) स्तर 2 छानबीन / आकलन (बाहरी) : (i) निर्धारण बोर्ड का गठन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जो क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बाहर के सदस्यों के बहुमत से मिलकर बनेगा ।

(ii) निर्धारण बोर्ड, उपांतरित पूरक सुनम्य स्कीम के अधीन विचार किए जाने के लिए योग्यता को न्यायोचित ठहराते हुए किए गए कार्य की विषय वस्तु के बारे में विशिष्ट रूप से एक पृष्ठ के सारांश के माध्यम से, लेखपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(iii) विभागीय श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समितियां (डीपीआरमी) वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' के पदों के लिए उनकी उपयुक्तता के लिए वैज्ञानिकों के निर्धारण के लिए स्तर 2 छानबीन करेगी ।

(iv) निर्धारण बोर्ड / विशेष श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समिति के रूप में कार्य करने वाली विभागीय श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समिति विशिष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए सभी मापदंड पूरे करते हैं ।

(v) उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन उच्चतर श्रेणी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों के प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव और ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव अनिवार्य हैं ।

(vi) क्रमशः वैज्ञानिक एफ और वैज्ञानिक जी श्रेणियों के पदों पर प्रोन्नति के लिए कम से कम क्रमशः दो वर्ष और पांच वर्ष का फील्ड अनुभव आवश्यक होगा ।

(vii) मंत्रालयों में प्रबंध और प्रशासनिक कार्य कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों पर उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

6. प्रोन्नति या अवकाश के कारण उद्भूत हुई रिक्तियों का भरा जाना.- (1) उन्नत वैज्ञानिक पद को अपने साथ ले जाता है और परिणामस्वरूप निम्नतर स्तर पर कोई रिक्ति नहीं होती है और जहां पर कोई रिक्ति अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या मृत्यु के कारण किसी अधिकारी के पद रिक्त करने पर होती है तो उसे, संबंधित वैज्ञानिक के सीधी भर्ती प्रविष्टि ग्रेड के स्तर पर भरा जाएगा ।

(2) सिफारिशों के लिए छानबीन समिति और निर्धारण बोर्ड और अनुमोदन प्राधिकारियों की संरचना नीचे दी गई तालिका में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट होंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	वह श्रेणी जिस पर प्रोन्नति की जाएगी	छानबीन समिति की संरचना	छानबीन समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी	वैज्ञानिक 'एफ' और 'जी' के लिए उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन सीधी भर्ती/ स्व:स्थाने उन्नयन के लिए निर्धारण बोर्ड, की संरचना	निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी'	छानबीन समिति में एक अध्यक्ष और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम तीन विशेषज्ञ सदस्य होंगे : परंतु कम से कम एक सदस्य अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से होगा ।	छानबीन समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव होगा । छानबीन समिति, आंतरिक श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समूह/ समिति के रूप में भी कार्य करेगी ।	निर्धारण बोर्ड/ डीपीआरसी की संरचना 1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव - सदस्य 3. वैज्ञानिक कार्यकलापों के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम तीन विख्यात वैज्ञानिक - सदस्य 4. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नामनिर्देशिनी । निर्धारण बोर्ड/ विभागीय श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समिति विशेष श्रेष्ठी पुनर्विलोकन	वैज्ञानिक 'एफ' की बाबत भारसाधक मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और वैज्ञानिक 'जी' की बाबत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी)

				समिति के रूप में भी कार्य करेगा और विशिष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगा कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए सभी मानदंड पूरे करते हैं ।	
2.	वैज्ञानिक 'सी' 'डी' और 'ई'	छानबीन समिति में एक सदस्य और कम से कम ऐसे तीन विशेषज्ञ सदस्य होंगे जो सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होंगे परंतु कम से कम एक सदस्य अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से होना चाहिए ।	छानबीन समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव होगा । छानबीन समिति, आंतरिक श्रेष्ठी पुनर्विलोकन समूह/ समिति के रूप में भी कार्य करेगी ।	(i) सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती जो संस्थान के निदेशक या संस्थान के प्रमुख या वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर का न हो - अध्यक्ष (ii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन संगठनों के दो प्रमुख - सदस्य (iii) विभाग के बाहर से वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम तीन विशेषज्ञ जिसके अंतर्गत कम से कम एक सदस्य अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का हो - सदस्य	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारसाधक मंत्री ।

7. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.- (1) उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

(2) नियम 6 (2) के अधीन विनिर्दिष्ट छानबीन समिति पात्र वैज्ञानिकों की उपलब्धता के अध्यधीन एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी (नियम 5 (क) (ii) की दृष्टि से) और ऐसे सभी विभागीय वैज्ञानिकों के कार्य की छानबीन करेगी जिन्होंने नियम 4 के उपनियम (3) में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अपनी-अपनी श्रेणियों में अपेक्षित अर्हक अवधि पूर्ण कर ली है।

(3) छानबीन प्रक्रिया में सिफारिश नहीं किए गए मामलों पर पुनर्विचार.- जहां (नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट) अनुमोदन प्राधिकारी छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार करने पर यह विनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए अर्हक नहीं है तो उसका मामला एक वर्ष के पश्चात् छानबीन समिति के समक्ष रखा जाएगा और उस दशा में छानबीन प्रक्रिया दुहराई जाएगी।

(4) (i) अनुसूची के नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट निर्धारण बोर्ड उन सभी अधिकारियों का, जिनकी छानबीन समिति द्वारा छानबीन की गई है, तथा जिनके नाम नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। निर्धारण बोर्ड प्रत्येक अधिकारी की, उसके कार्यों के निबंधनानुसार, प्रवीणता का मूल्यांकन करेगा और विचाराधीन अवधि के दौरान अधिकारी की प्रवीणता के अतिरिक्त उसकी वृत्ति के अनुसरण में प्रदर्शित प्रखरता और अनुसंधान और विकास सामर्थ्य, प्रबंधात्मक या नेतृत्व गुणों सहित उच्चतर जिम्मेदारियां लेने की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता की सिफारिश करेगा।

(ii) निर्धारण बोर्ड प्रत्येक मामले पर विचार करते समय अपने निर्धारण पर आधारित निम्नलिखित में से किसी एक के लिए सिफारिश कर सकेगा :-

- (क) अधिकारी की अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति ; या
- (ख) यथापूर्व स्थिति, अर्थात् श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं।

(iii) उन अधिकारियों की बाबत जिनकी सिफारिश यथापूर्व स्थिति के रूप में की गई है, उनके मामलों पर उनके समाधानप्रद कार्य के अध्यधीन एक वर्ष की अवधि के पश्चात् छानबीन समिति के द्वारा फिर से विचार किया जाएगा।

(iv) निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों पर अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा ।

(5) निर्धारण बोर्ड की सिफारिशें अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होंगी ।

(6) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' श्रेणियों के लिए विभागीय अधिकारियों की बाबत उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम का अनुसरण किया जाएगा और उसमें किसी भी निर्बन्धन के बिना पूर्णतः पारस्परिक विनिमयशीलता होगी सिवाय इसके कि जहां पदधारियों की कुल संख्या मंजूर पदों की कुल संख्या अर्थात् 576, (वैज्ञानिक 'बी' पदों सहित) से अधिक नहीं होगी जो कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन है ।

(7) उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नतियां संबंधित वैज्ञानिक के लिए व्यक्तिगत होगी जिसके परिणामस्वरूप इस कारण से निम्नतर श्रेणी में कोई विशिष्ट रिक्ति नहीं होगी और संबंधित वैज्ञानिक द्वारा तत्समय धारित पद उसके प्रोन्नत पद में रहने के कार्यकाल के लिए उन्नत किया जाएगा और एक बार वैज्ञानिक द्वारा उच्चतर पद को रिक्त करने पर वह पद मूल स्तर पर प्रतिवर्तित हो जाएगा ।

(8) उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए पात्र पाए गए वैज्ञानिकों की प्रोन्नति की प्रभावी तारीख अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नति प्रस्तावों के अनुमोदन की तारीख होगी किंतु किसी भी दशा में भूतलक्षी प्रोन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(9) ऐसे वैज्ञानिकों को, जो छुट्टी पर हैं, उच्चतर वेतनमान में वेतन केवल उस तारीख से अनुज्ञात किया जाएगा जिसको वे वापस पद ग्रहण करते हैं और उच्चतर पद की ड्यूटी पर पद ग्रहण करते हैं ।

(10) ऐसे वैज्ञानिकों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उस तारीख से स्वस्थाने प्रोन्नति दी जाएगी जिससे वे प्रत्यावासित होते हैं और वापस पद ग्रहण करते हैं और उच्चतर पद की ड्यूटी पर पद ग्रहण करते हैं किंतु प्रोफार्मा प्रोन्नति लागू नहीं होगी ।

(11) वे वैज्ञानिक, जो छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के कारण निर्धारण के लिए वस्तुतः उपस्थित होने में असफल रहते हैं, स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(12) ऐसे वैज्ञानिकों को, जिन्हें लियन रखते हुए तकनीकी त्यागपत्र देने की अनुज्ञा दी गई है, केवल उस तारीख से प्रोन्नत किया जाएगा जिसको वे पद ग्रहण करते हैं ।

(13) छानबीन समिति केवल उन वैज्ञानिकों की अभ्यर्थिता पर विचार करेगी जो उन नियमों में यथा अधिकथित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और किसी भी प्राधिकारी को उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों के किसी भी प्रवर्ग के लिए उक्त

पात्रता शर्तें शिथिल करने का विवेकाधिकार नहीं होगा और एक वैज्ञानिक जो अपेक्षित पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता है, उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन और इस आधार पर कि उसका कनिष्ठ जो अपेक्षाएं पूरी करता है पर विचार किया गया है, प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं होगा।

8. निरर्हता : वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व.- उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हों, तो प्रशिक्षण, यदि कोई हों, पर बिताई गई अवधि सहित चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी भी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति -

- (क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष के अवसान के पश्चात् उपरोक्त सेवा करने के लिए ;
 (ख) सामान्यतः चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा करने के लिए ;

अपेक्षित नहीं होगा।

10. वैज्ञानिकों का भारत में और भारत के बाहर सेवा करने का दायित्व :- (1) वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त अधिकारी भारत में और भारत के बाहर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।

(2) वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति अधिकारी भारत में या भारत के बाहर ऐसा प्रशिक्षण करने और अनुदेशों के पाठ्यक्रम पर भेजे जाने के दायित्वाधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए ।

(3) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया कोई वैज्ञानिक यदि प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त करने का विकल्प चुनता है तो प्रशिक्षण की संपूर्ण लागत का प्रतिदाय करेगा ।

11. पदों का चिकित्सा मापदंडों के प्रयोजन के लिए गैर तकनीकी पद होना.- सभी पद चिकित्सा विनियमों और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सिविल सेवाओं में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के प्रयोजनों के लिए गैर तकनीकी पद समझे जाएंगे ।

12. शिथिल करने की शक्ति.-

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

13. व्यावृत्ति.-

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वैज्ञानिक 'जी'	10* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (वैज्ञानिक), अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-4 वेतनमान(37400-67000रु.) + ग्रेड वेतन 10000रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भू-भौतिकी या भू-रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जीव विज्ञान या मात्स्यिकी या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान, या वायुमंडलीय विज्ञान या	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता -हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा। (प्रत्येक रिक्ति के लिए

<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>भूकंप विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग या अपेक्षानुसार किसी भी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>अनुभव : (ii) संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण आदि का इक्कीस वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या अपेक्षानुसार किसी अन्य विषय से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या समतुल्य। (ii) संबद्ध क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजना बनाने या प्रबंधन का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :- पद की अपेक्षा के अनुसार निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव के क्षेत्र सरकार द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।</p> <p>टिप्पण 2 :- सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) सक्षम</p>	<p>भर्ती की विशिष्ट पद्धति सरकार द्वारा पद के विज्ञापन के पूर्व उसके कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं की दृष्टि से की जानी है।</p>
--	---	--

	<p>प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p> <p>परंतु उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की दशा में यह शिथिलता लागू नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.- डाक्टरेट डिग्री को तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 4.- जिस किसी को हिन्दी का व्यवहार्य ज्ञान नहीं है उससे यह उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।</p>			
--	--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
<p>(1) स्वस्थाने उन्नयन द्वारा : वैज्ञानिक 'एफ' में से उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अनुसार उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पांच वर्ष का फील्ड अनुभव रखना अनिवार्य है । वैज्ञानिक 'एफ' के पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है ।</p>	<p>पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।</p> <p>वैज्ञानिक 'जी' के लिए</p> <p>1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय- अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव या</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

<p>(ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाएं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी ।</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4+ ग्रेड वेतन 8900रु. के वेतनमान के पदों में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है आरंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे ।</p>	<p>उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय- सदस्य</p> <p>3. विभाग से बाहर के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम तीन विशेषज्ञ सदस्य</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वैज्ञानिक 'एफ'	11* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (वैज्ञानिक), अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-4 वेतनमान(3740 0-67000रु.) + ग्रेड वेतन 8900रु.	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,</p>	<p>अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भू-भौतिकी या भू-रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जीव विज्ञान या मात्स्यिकी या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञानों या भूकंप विज्ञान या कंप्यूटर प्रयोग या अपेक्षानुसार किसी भी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) अनुभव : संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण आदि का सोलह</p>	<p>आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता -हां</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष</p>	<p>उपांतरित सुनम्य-पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा। (प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति सरकार द्वारा पद के विज्ञापन के पूर्व उसके कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं की दृष्टि से की जानी है)</p>

<p>सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या अपेक्षानुसार किसी अन्य विषय से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या समतुल्य।</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजना बनाने या प्रबंधन का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :- पद की अपेक्षा के अनुसार निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव के क्षेत्र सरकार द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।</p> <p>टिप्पण 2 :- सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> <p>परंतु उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की दशा में यह शिथिलता लागू नहीं</p>			
--	---	--	--	--

	<p>होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.- डाक्टरेट डिग्री को तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 4.- जिस किसी को हिन्दी का व्यवहार्य ज्ञान नहीं है उससे यह उसकी परीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>(1) स्वस्थाने उन्नयन द्वारा : वेतन बैंड 4 + ग्रेड वेतन 8700 में के वैज्ञानिक 'ई' में से उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अनुसार उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा । वैज्ञानिक 'ई' के पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए ।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) ।</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाएं या सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रम या अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठन ।</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4+ ग्रेड वेतन 8700रु. के वेतनमान के पदों में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है आरंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा</p>	<p>पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।</p> <p>वैज्ञानिक 'एफ' के लिए</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय- अध्यक्ष 2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कम से कम किसी एक संगठन का प्रधान - सदस्य 3. विभाग से बाहर के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम तीन विशेषज्ञ - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

<p>और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंगत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे ।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. वैज्ञानिक 'ई'	30* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (वैज्ञानिक), अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-4 वेतनमान(37400-67000रु.) + ग्रेड वेतन 8700रु.	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भू-भौतिकी या भू-रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जीव विज्ञान या	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता -हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा या सीधी

<p>शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>मात्स्यिकी या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान या भूकंप विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग या अपेक्षानुसार किसी भी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) अनुभव : संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण आदि का ग्यारह वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या अपेक्षानुसार किसी अन्य विषय से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या समतुल्य।</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजना बनाने या प्रबंधन का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :- पद की अपेक्षा के अनुसार निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव के क्षेत्र सरकार द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।</p>			<p>भर्ती द्वारा।</p> <p>(प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति सरकार द्वारा पद के विज्ञापन के पूर्व उसके कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं की दृष्टि से की जानी है।)</p>
--	---	--	--	--

	<p>टिप्पण 2 :- सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p> <p>परंतु उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की दशा में यह शिथिलता लागू नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.- डाक्टरेट डिग्री को तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 4.- जिस किसी को हिन्दी का व्यवहार्य ज्ञान नहीं है उससे यह उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>1. स्वस्थाने उन्नयन द्वारा : वैज्ञानिक 'डी' में से उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अनुसार उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा</p>	<p>पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।</p> <p>वैज्ञानिक 'ई' के लिए</p> <p>1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय- अध्यक्ष</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

<p>सहित) । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाएं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठन । (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3+ ग्रेड वेतन 7600रु. के वेतनमान के पदों में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है आरंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे ।</p>	<p>2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कम से कम किसी एक संगठन का प्रधान - सदस्य</p> <p>3. विभाग से बाहर के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम तीन विशेषज्ञ - सदस्य</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. वैज्ञानिक 'डी'	73* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (वैज्ञानिक), अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-3 वेतनमान(15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 7600रु.	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,</p>	<p>अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भू-भौतिकी या भू-रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जीव विज्ञान या मात्स्यिकी या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान या भूकंप विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग या अपेक्षानुसार किसी भी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) अनुभव :- अनिवार्य :- संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन (स्नातक या स्नातकोत्तर</p>	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता -हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा। (प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति सरकार द्वारा पद के विज्ञापन के पूर्व उसके कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं की दृष्टि से की जानी है)

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

स्तर पर), अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण आदि का सात वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या अपेक्षानुसार किसी अन्य विषय से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या समतुल्य ।

(ii) संबद्ध क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजना बनाने या प्रबंधन का अनुभव ।

टिप्पण 1 :- पद की अपेक्षा के अनुसार निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव के क्षेत्र सरकार द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

टिप्पण 2 :- सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

	<p>परंतु उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की दशा में यह शिथिलता लागू नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.- डाक्टरेट डिग्री को तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 4.- जिस किसी को हिन्दी का व्यवहार्य ज्ञान नहीं है उससे यह उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>1. स्वस्थाने उन्नयन द्वारा : वैज्ञानिक 'सी' में से उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अनुसार उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) ।</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाएं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठन ।</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3+ ग्रेड वेतन 6600रु. के वेतनमान के पदों में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर</p>	<p>पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।</p> <p>वैज्ञानिक 'डी' के लिए</p> <p>1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय- अध्यक्ष</p> <p>2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कम से कम किसी एक संगठन का प्रधान - सदस्य</p> <p>3. विभाग से बाहर के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम दो विशेषज्ञ - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

<p>प्रतिनियुक्ति की अवधि है आरंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे ।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. वैज्ञानिक 'सी'	230* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (वैज्ञानिक), अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-3 वेतनमान(15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 6600रु.	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक तथा	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या भू-भौतिकी या भू-रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जीव विज्ञान या मात्स्यिकी या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञानों या भूकंप विज्ञान या कंप्यूटर	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता -हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन या प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा । (प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट

<p>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)</p>	<p>अनुप्रयोग या अपेक्षानुसार किसी भी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता डिग्री स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) अनुभव :-</p> <p>संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर), अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण, प्रशासन, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण या प्रशिक्षण आदि का तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या अपेक्षानुसार किसी अन्य विषय से संबंधित विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या समतुल्य ।</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजना बनाने या प्रबंधन का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1 :- पद की अपेक्षा के अनुसार निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव के क्षेत्र सरकार द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 :- सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए आरक्षित वर्गों के</p>			<p>पद्धति सरकार द्वारा पद के विज्ञापन के पूर्व उसके कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए अपेक्षित अर्हताओं की दृष्टि से की जानी है)</p>
---	---	--	--	--

	<p>अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p> <p>परंतु उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वरस्थाने उन्नयन की दशा में यह शिथिलता लागू नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.- डाक्टरेट डिग्री को तीन वर्ष के अनुभव के रूप में गिना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 4.- जिस किसी को हिन्दी का व्यवहार्य ज्ञान नहीं है उससे यह उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।</p>			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>1. स्वस्थाने उन्नयन द्वारा : वैज्ञानिक 'बी' में से उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अनुसार उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन (अल्पावधि संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाएं या</p>	<p>पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ।</p> <p>वैज्ञानिक 'सी' के लिए</p> <p>1. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय-अध्यक्ष</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

<p>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठन ।</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3+ ग्रेड वेतन 5400रु. के वेतनमान के पदों में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है आरंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपांतरित सुनम्य पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे ।</p>	<p>2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कम से कम किसी एक संगठन का प्रधान - सदस्य</p> <p>3. विभाग से बाहर के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' से अनिम्न स्तर के कम से कम दो विशेषज्ञ - सदस्य</p>	
---	--	--

[फा. सं. एमओईएस/21/02/2009/स्था.]

डॉ. वसुधा गुप्ता, निदेशक (स्था.)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2012

G.S.R. 703(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (1) Indian Meteorological Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules 1978 in so far as they relate to the posts of Director and Meteorologist Grade-I, (2) the Director General, Additional Director General and Deputy Director General of Meteorology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1994 in so far as they relate to the post of Additional Director General and Deputy Director General of Meteorology and (3) the Group 'A' posts Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D' and Scientist 'C' Recruitment Rules, 2005 of Department of Ocean Development in so far as they relate to the posts of Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D' and Scientist 'C' except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientists 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G' in the Ministry of Earth Sciences, namely:-

2. Short-title and commencement –

- (1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences [Scientist Group 'A' posts] Recruitment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Number of posts, classification and pay band, grade pay and pay scale.- The number of said posts, their classification and the pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Designation, inter-se-seniority, minimum qualifying period, etc.- (1) A Group 'A' officer appointed on regular basis in pursuance of the provisions of the Indian Meteorological Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules 1978, the Director General, Additional Director General and Deputy Director General of Meteorology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1994 and the Group 'A' posts Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D' and Scientist 'C' Recruitment Rules, 2005 of Department of Ocean Development and working in the Ministry of Earth Sciences, National Centre for Medium Range Weather Forecasting, Centre for Marine Living Resources and Ecology, Integrated Coastal and Marine Area Management and India Meteorological Department, holding the post with designation indicated in column (2) of the Table given below shall be designated with the post mentioned in corresponding entry under column (3) of the said Table and shall hold the post as such from the commencement of these rules, namely:-

TABLE

Serial Number	Existing designation	Corresponding new designation
(1)	(2)	(3)
1.	Scientist 'G'/Additional Director General of Meteorology	Scientist 'G'
2.	Scientist 'F'	Scientist 'F'
3.	Scientist 'E'/Deputy Director General of Meteorology	Scientist 'E'
4.	Scientist 'D'/Director	Scientist 'D'
5.	Scientist 'C'/Meteorologist Grade-I	Scientist 'C'

(2) The inter-se-seniority to a post under these rules shall be determined in accordance with the extant guidelines on the issue.

(3) The posts mentioned in column (3) of the Table referred to in sub rule (1) shall be subject to the Modified Flexible Complementing Scheme made by the Department of Personnel and Training vide their Office Memorandums issued from time to time (hereinafter referred to as the Modified Flexible Complementing Scheme) and the said posts shall carry the pay band, grade pay and pay scale, specified in the corresponding entry under column (3) of the Table given below and minimum qualifying period specified in the corresponding entry under column (4) of the said Table linked to performance in a grade for promotion to the next grade, namely:-

TABLE

Serial Number	Designation	Pay band, grade pay and pay scale	Minimum qualifying period linked to performance in a grade for promotion to the next grade
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'G'	Pay Band-4, pay scale (₹ 37400-67000), Grade Pay ₹ 10000/-	----
2.	Scientist 'F'	Pay Band-4, pay scale (₹ 37400-67000), Grade Pay ₹ 8900/-	5 (five) years
3.	Scientist 'E'	Pay Band-4, pay scale (₹ 37400-67000), Grade Pay ₹ 8700/-	5 (five) years
4.	Scientist 'D'	Pay Band-3, pay scale (₹ 15600-39100), Grade Pay ₹ 7600/-	4 (four) years
5.	Scientist 'C'	Pay Band-3, pay scale (₹ 15600-39100), Grade Pay ₹ 6600/-	4 (four) years
6.	Scientist 'B'	Pay Band-3, pay scale (₹ 15600-39100), Grade Pay ₹ 5400/-	3 (three) years

5. Criteria for considering promotions and procedure for selection or review under Modified Flexible Complementing Scheme.- The following review or selection procedure shall be followed for up-gradation of scientists from the grade of Scientist 'B' to Scientist 'G' under the Modified Flexible Complementing Scheme effective from the 1st January, 2011, namely:-

(a) **Procedure for selection:** (i) There shall be two levels of assessment of which the first one shall be at internal level for screening purpose and the next level for assessment purposes.

(ii) Consideration for up gradation by the Assessment Board shall be done twice a year, that is before the 1st January and the 1st July of every year and those who have completed or will complete that specified period of residency in a post during a period of three months before or three months after the 1st January or the 1st July, as the case may be, shall be considered on that date for upgradation (in-situ promotion) to the next higher grade.

(iii) The period spent on deputation or foreign service to another scientific post which helps the Scientists to acquire scientific experience or field experience and period of study leave or any other leave availed for improving academic accomplishments, maternity leave sanctioned in accordance with the Central Civil Services (Leave Rules), 1972, leave of a maximum period of one year, earned leave sanctioned for a period not exceeding one hundred eighty days at a time [the ceiling under Central Civil Services (Leave Rules), 1972] shall count as qualifying period for promotion but period spent on deputation or foreign service to non-scientific posts and period of leave including leave on medical grounds, extraordinary leave availed on personal grounds shall not count towards qualifying period.

(b) **Procedure of screening:** (i) Screening Committee namely Internal Peer Review Committee shall be constituted by the Ministry of Earth Sciences for evaluation of Annual Performance Appraisal Reports or Annual Confidential Reports vis-a-vis the criteria for up-gradation under Modified Flexible Complementing Scheme.

(ii) An external member, from the Departments of Atomic Energy, Space or Defence Research and Development Organisation, who have developed over the years a fine tuned system of screening meritorious Scientists on the basis of Annual Confidential Reports, may be co-opted in the selection process.

(iii) All Scientists eligible according to the provisions of Modified Flexible Complementing Scheme and who meet the benchmark of 'Good' for Scientist C and 'Very Good' for Scientist D and above would be screened in.

(iv) The internal screening committee shall report on the scientific content of work done by the Scientist in following reporting format and same shall be made available to the external assessment committee, namely:-

Internal Peer Review Committee Report

1. Grading of the Science & Technology content of work reported
2. Specific Innovation elements recognized
 - (a)
 - (b)
 - (c)
3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area
Top 10% 10-33% 33-50% 50-75% Bottom 25%
4. Assessment of the work done during the residency period
5. Specific highlights of the Science & Technology content of the work done
6. Overall grading of the Science & Technology work report for the residency period
Top 10% 10-33% 33-50% 50-75% Bottom 25%

Signatures of the Members of the Peer Group

(c) **Level 2 Screening/Assessment. (External):** (i) The assessment boards shall be constituted in the Ministry of Earth Sciences consisting of majority members from outside the Ministry of Earth Sciences possessing expertise in the field.

(ii) The assessment board shall document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under Modified Flexible Complementing Scheme.

(iii) The Departmental Peer Review Committees(DPRC) shall undertake level 2 screening for assessment of scientists for their suitability for the posts of Scientist 'F' and Scientist 'G'.

(iv) The Assessment Boards/Departmental Peer Review Committee functioning as Special Peer Review Committee shall specifically certify that the Scientists recommended met with all the criteria for in situ up gradation under Modified Flexible Complementing Scheme.

(v) Field experience in research and development and experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of scientists appointed to the posts in the Ministry of Earth Sciences to higher grades under the Modified Flexible Complementing Scheme.

(vi) The field experience of at least two years and five years respectively shall be essential for promotion to the posts of Scientists F and Scientist G grades respectively.

(vii) Scientists or Technical experts doing management or administrative work in the Ministries/Departments shall not be considered for up gradation under Modified Flexible Complementing Scheme and they shall only be given benefit of up gradation under Modified Assured Career Progression Scheme.

6. Filling up of vacancies arising out of promotion or vacation.- (1) A Scientist upgraded carries the post with him and consequently no vacancy is caused at the lower level and where a vacancy is caused due to a scientist vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of the Direct recruitment entry grade of the respective Scientist.

(2) The composition of Screening Committee and the Assessment Boards and Approving Authorities of their recommendations shall be as specified in the corresponding entries in the Table given below namely:-

Serial Number	Grade to which promotions shall be made	Composition of Screening Committee	Approving Authority for Screening Committee recommendations	Composition of Assessment Board for direct recruitment/ in-situ Up-gradation under Modified Flexible Complementing Scheme for Scientist 'F' and 'G'.	Approving Authority for Assessment Board's recommendations
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Scientists 'F' and Scientist 'G'	Screening Committee shall consist of one Chairman and at least three expert Members to be nominated by the Secretary, Ministry of Earth Sciences: Provided that at least one Member shall be from Department of Space or Department of Atomic Energy or Defence Research and	The approving authority for the recommendations of the Screening Committee shall be Secretary, Ministry of Earth Sciences. The Screening Committee will also act as Internal Peer Review Group/ Committee.	<u>Composition of Assessment Board/DPRC</u> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences - Chairman. 2. Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments - Members. 3. At least three eminent Scientists not below the level of Scientist 'G' specializing in the field of scientific activity -Members. 4. The nominee	Minister - In-Charge of Ministry of Earth Sciences, in respect of Scientist 'F' and Appointment Committee of Cabinet (ACC) in respect of Scientist 'G'.

		Development Organisation.		of the Department of Personnel and Training as per extant instructions. The Assessment Board/Departmental Peer Review Committee shall also function as Special Peer Review Committee and shall specifically certify that the scientists recommended meet with all the criteria for in-situ Up gradation under Modified Flexible Complementing Scheme.	
2	Scientist 'C' 'D' and 'E'	Screening Committee shall consist of one Chairman and at least three expert Members who shall be nominated by the Secretary, Ministry of Earth Sciences: Provided that at least one Member should be from Department of Space or Department of Atomic Energy or Defence Research and Development Organisation.	The approving authority for the recommendations of the Screening Committee shall be Secretary, Ministry of Earth Sciences. The Screening Committee shall also act as Internal Peer Review Group/ Committee.	Composition of Selection Committee (i) Secretary, Ministry of Earth Sciences or his nominee not below the level of Director of the Institute or Head of the Institute or Scientist 'G' - Chairman. (ii) Two Heads of the organisations under Ministry of Earth Sciences - Members. (iii) At least three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department including at least one from Department of Space or Atomic Energy or Defence Research Development Organisation - Members.	Minister - In-Charge in the Ministry of Earth Sciences

7. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—

- (1) The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- (2) The Screening Committee specified under Rule 6(2) shall meet at least twice (in view of Rule [5 (a) (ii)]) in a year subject to availability of eligible Scientists and shall screen the performance of all the departmental Scientists, who have completed the requisite qualifying period in the respective grades specified in sub rule (3) of rule 4 to assess their suitability.
- (3) Reconsideration of cases not recommended in Screening Process.- Where the Approving Authority (specified under column 4 of the table under sub rule (2) of rule 6) on consideration of the recommendations of the Screening Committee, decides that the Scientist does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his case shall be placed before the Screening Committee after one year and in that case, the screening procedure shall be repeated.
- (4) (i) The Assessment Board as specified in column 5 of the table under sub rule (2) of rule 6 shall assess all Scientists who have been screened-in by the Screening Committee and whose name have been approved by the Approving Authority as specified in column 4 of the table under sub rule (2) of rule 6. The Assessment Board shall evaluate the accomplishments of each Scientist in terms of their work and recommend his suitability for promotion to the higher grade keeping in mind, apart from the accomplishments of the Scientists during the period under consideration, keenness exhibited in the pursuit of his profession and ability to take up higher responsibilities including research and development capabilities, managerial or leadership qualities.
- (ii) The Assessment Board, while considering each case, may recommend, based on its assessment, any one of the following:-
- (a) promotion of the officer to the next higher grade; or
- (b) status quo – that is to say no change in the grade.
- (iii) In respect of those officers who have been recommended status quo, their cases shall again be considered by the Screening Committee after a period of one year subject to his satisfactory performance.
- (iv) The recommendations of the Assessment Board shall be considered and approved by the Approving Authority as specified in column 6 of the table under sub rule (2) of rule 6.
- (5) The recommendations of the Assessment Board shall be effective from the date of its approval by the Approving Authority as specified in column 6 of the table under sub rule (2) of rule 6.
- (6) The Modified Flexible Complementing Scheme for in-situ promotion shall be followed in respect of Departmental Scientists, to the grades of Scientist 'C' to Scientist 'G' and there shall be complete interchangeability without any restriction except that the total number of incumbents shall not exceed the total number of sanctioned posts which are subject to change depending on workload.
- (7) Promotions under the Modified Flexible Complementing Scheme shall be personal to the Scientist concerned not resulting in specific vacancy in the lower grade on that account and the post being currently held by the concerned Scientist shall be upgraded for the duration of his stay in the promotion post and the post shall revert to the original level once the Scientist vacates the higher post.

(8) The effective date of promotion of Scientists found eligible for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall be the date of approval of the promotion proposals by the Approving Authority but retrospective promotion shall not be admissible in any case.

(9) The Scientists who are away on leave shall be allowed pay in the higher pay scale only from the date they join back and assume the duties of the higher post.

(10) The Scientists who are away on deputation shall be given in-situ promotion with effect from the date they repatriate and join back and assume the duties of the higher post but proforma promotion shall not apply.

(11) The Scientists who fail to appear physically for the assessment for reasons of leave or deputation or foreign service shall not be eligible for in-situ promotion.

(12) The Scientists who have been allowed to take technical resignation with retention of lien shall be promoted only with effect from the date they join.

(13) The Screening Committee shall consider the candidature of only those Scientists who fulfill all the eligibility conditions as laid down in these rules and discretion shall not be available with any authority for relaxing the said eligibility conditions for any category of Scientists for promotions under Modified Flexible Complementing Scheme and a Scientist who does not fulfill the requisite eligibility conditions shall not be entitled to be considered for promotion under Modified Flexible Complementing Scheme and Scientists on the ground that his junior who fulfils the requirement is being considered.

8. Disqualifications: No persons,--

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Liability to serve in the Defence Services. – Any person appointed to any of the said posts shall, if so required, be liable to serve in any of the Defence Services or posts connected with the Defence of India, for a period not more than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person shall not be required-

- (a) to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- (b) ordinarily, to serve after attaining the age of forty years.

10. Liability of Scientists to serve in India and outside: –

- (1) Scientists appointed shall be liable to serve anywhere in India and outside India.
- (2) Scientist appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or out side India as the Central Government may decide from time to time.
- (3) Scientists detailed for training shall refund in full the cost of training, if for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

11. Posts to be non-technical post for purpose of medical standards.- All posts shall be deemed to be non-technical posts for purposes of medical standards as specified in the medical regulations and Medical Report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Civil Services.

12. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classifications.	Pay Band, pay scale and Grade pay.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Scientist 'G'	10* (2012) (*Subject to change depending on workload).	General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientific), Non - Ministerial.	Pay Band-4 pay scale ₹ 37400-67000 plus Grade Pay ₹10000.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date	Essential (i) Master's degree from a recognized University in Physics or chemistry or Mathematics or Geophysics or Geochemistry or Zoology or Biology or Fisheries or Oceanography or Meteorology	Age -No. Educational qualification - Yes	One year for direct recruits.	By In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme or deputation / absorption (including short-term contract) or by direct recruitment. (Particular method of recruitment for each vacancy

<p>for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangj Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>or Atmospheric Sciences or Seismology or Computer Applications or equivalent or any other subject considered relevant in the field with at least 60% marks in the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with at least 60% marks in the qualifying degree level.</p> <p>Experience:- (ii) Twenty one years' experience in teaching (at graduate or post graduate level), research and development, survey, administration, planning, supervision or training, etc., in the relevant fields.</p> <p>Desirable: (i) Master's degree from recognized University in Engineering or Technology or Doctorate in a branch of Science or equivalent as per the requirement. (ii) Experience</p>			<p>being decided by the Government in the light of qualifications required for the posts keeping in view the job requirements for the same before advertising the post).</p>
--	--	--	--	--

	<p>in policy making, planning or management in the relevant field.</p> <p>Note 1.- The exact educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post, shall be specified at the time of recruitment by the Government.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the reserved categories as notified by the Govt. from time to time. If, at any stage of selection, the Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them: Provided that this relaxation shall</p>			
--	--	--	--	--

	<p>not be applicable in the case of in-situ up-gradation under Modified Flexible Complementing Scheme.-</p> <p>Note 3.- Doctorate degree shall count as three years experience.</p> <p>Note 4.- Who ever does not have the workable knowledge of Hindi, he/she shall be required to acquire the same during his/her probation period.</p>			
--	---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>(i) By In-situ upgradation: From the Scientist 'F' with five years' regular service in the grade according to Modified Flexible Complementing Scheme and possessing - five years of field experience in research and development or experience in implementation of scientific projects is compulsory. Scientist 'F' should possess the minimum educational qualifications as specified for direct recruits under column 7.</p> <p>(ii) Deputation or absorption (including short term contract). Officers under the Central Government or State</p>	<p>Departmental Promotion Committee for Confirmation. For Scientist 'G'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences - Chairman. 2. Officer of Additional Secretary or above level, Ministry of Earth Sciences - Member. 3. At least three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department nominated by the Secretary - Members. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government, Autonomous Organisations.

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-4 plus Grade Pay of ₹ 8900/- in the parent cadre or department, and
 (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall be initially for two years extendable up to five years and the maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of the applications.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.

Note 3.- The Scientists only from Central Government and State Government shall be eligible for absorption.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Scientist 'F'.	11* (2012) (*Subject change depending on workload).	to General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientific), Non - Ministerial.	Pay Band-4 pay scale ₹ 37400-67000 plus Grade Pay ₹ 8900	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential (i) Master's degree from a recognized University in Physics or chemistry or Mathematics or Geophysics or Geochemistry or Zoology or Biology or Fisheries or Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or Seismology or Computer Applications or equivalent or any other subject considered relevant in the field with at least 60% marks in the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with at least 60% marks in the qualifying degree level.</p> <p>(ii) Experience:- Sixteen years' experience in teaching (at graduate or post graduate level), research and development, survey, administration, planning, supervision or training, etc., in the relevant fields.</p> <p>Desirable: (i) Master's degree from a recognised University in Engineering or Technology or Doctorate in any branch of Science related to Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or equivalent or any other subject specified as per the requirement. (ii) Experience in policy making, planning or management in the relevant field.</p> <p>Note 1.- The exact educational qualifications</p>	Age -No. Educational qualification - Yes	One year for direct recruits	<p>By In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme or deputation / absorption (including short-term contract) or by direct recruitment. (Particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the posts keeping in view the job requirements for the same before advertising the post).</p>

	<p>and areas of experience according to the requirements of the post, shall be specified at the time of recruitment by the Government.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of persons belonging to the reserved categories as notified by the Govt. from time to time. If, at any stage of selection, the Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them: Provided that this relaxation shall not be applicable in the case of in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- Doctorate degree shall count as three years experience.</p> <p>Note 4.- Whoever does not have the workable knowledge of Hindi, he/she shall be required to acquire the same during his/her probation period.</p>			
<p style="text-align: center;">(11)</p> <p>(i) By In-situ upgradation From the Scientist 'E' in Pay Band-4 plus GP ₹ 8700 with five years regular service according to Modified Flexible Complementing Scheme. Scientist 'E' should possess the minimum educational qualifications as specified for direct recruits under column 7.</p> <p>(ii) Deputation or absorption (including short term contract). Officers under the Central Government or State Government or University or Research Institutions or Public</p>	<p style="text-align: center;">(12)</p> <p>Departmental Promotion Committee for Confirmation. For Scientist 'F'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences – Chairman. 2. Head of at least one of the organisation under Ministry of Earth Sciences – Member. 3. At least three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department nominated by the Secretary – Members. 	<p style="text-align: center;">(13)</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>		

<p>Sector Undertaking or Semi-Government, Autonomous Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of pay band-4 plus Grade Pay of ₹ 8700/-, in the parent cadre or department, and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government will be initially for two years extendable up to five years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3: The officers only from Central Government and State Government shall be eligible for absorption.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Scientist 'E'	30 * (2012) (*Subject to change depending on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientific), Non - Ministerial.	Pay Band-4 pay scale ₹37400-67000 plus Grade Pay ₹ 8700	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential (i) Master's degree from a recognized University in Physics or chemistry or Mathematics or Geophysics or Geochemistry or Zoology or Biology or Fisheries or Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or Seismology or Computer Applications or equivalent or any other subject considered relevant in the field with at least 60% marks at the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with at least 60% marks in the qualifying degree level.</p> <p>(ii) Experience:- Eleven years' experience in teaching (at graduate or post graduate level), research and development, survey, administration, planning, supervision or training etc. in the relevant fields.</p> <p>Desirable: (i) Master's degree from recognised University in Engineering or Technology or Doctorate in any branch of Science related to Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or equivalent or any other subject specified as per the requirement. (ii) Experience in policy making, planning or management in the relevant field.</p> <p>Note 1.- The exact educational qualifications and areas of experience according to the</p>	Age - No Educational Qualification - Yes	One years for direct recruits.	By In-situ upgradation under Modified Flexible Completing Scheme or deputation / absorption (including short-term contract) or by direct recruitment . (Particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the posts keeping in view the job requirements for the same before advertising the post).

	<p>requirements of the post, shall be specified at the time of recruitment by the Government.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the reserved categories as notified by the Government from time to time. If, at any stage of selection, the Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them: Provided that this relaxation shall not be applicable in the case of in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- Doctorate degree shall count as three years experience.</p> <p>Note 4.- Whoever does not have the workable knowledge of Hindi, he/she shall be required to acquire the same during his/her probation period.</p>			
<p style="text-align: center;">(11)</p> <p>I. By In-situ upgradation --</p> <p>From the Scientist 'D' with four years' regular service in the grade according to Modified Flexible Complementing Scheme and possessing the minimum educational qualifications specified for direct recruits under column 7.</p> <p>(ii) Deputation or Absorption (including short term contract). Officers under the Central Government or State Government or University or Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government, Autonomous Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis (ii) with four years regular service</p>	<p style="text-align: center;">(12)</p> <p>Departmental Promotion Committee for Confirmation. For Scientist 'E'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences – Chairman. 2. Head of at least one of the organization under Ministry of Earth Sciences – Member. 3. At least three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department nominated by the Secretary – Members. 	<p style="text-align: center;">(13)</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>		

<p>rendered after appointment thereto or regular basis in the pay scale of Pay Band-3 plus Grade Pay of ₹ 7600/- in the present cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall be initially for two years extendable up to four years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- The officers only from Central Government and State Government shall be eligible for absorption.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.Scientist 'D'	73* (2012) (*Subject to change depending on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientific), Non - Ministerial	Pay band-3 pay scale ₹15600-39100 plus Grade Pay ₹ 7600.	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India</p>	<p>Essential</p> <p>(i) Master's degree from a recognized University in Physics or chemistry or Mathematics or Geophysics or Geochemistry or Zoology or Biology or Fisheries or Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or Seismology or</p>	<p>Age -No Educational Qualification - Yes.</p>	<p>One year for direct recruits.</p>	<p>By In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme or deputation or absorption (including short-term contract) or by direct</p>

<p>(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Kashmir State, Sikkim, Pangi Sub-division of Chamba, Lahaul and spiti district of Himachal Pradesh).</p>	<p>Computer Applications or equivalent or any other subject considered relevant in the field with at least 60% marks at the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with at least 60% marks in the qualifying degree level.</p> <p>(ii) Experience:- Essential:- Seven years' experience in teaching (at graduate or post graduate level), research and development, survey, administration, planning, supervision or training etc. in the relevant fields.</p> <p>Desirable: (i) Master's degree from recognised University in Engineering or Technology or Doctorate in a branch of Science or equivalent related to Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or equivalent or any other subject specified as per the requirement.</p> <p>(ii) Experience in policy making, planning or management in the relevant field.</p> <p>Note 1.- The exact educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post, shall be specified at the time of recruitment by the Government.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding</p>			<p>recruitment (Particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Central Government in the light of qualifications required for the posts keeping in view the job requirements for the same before advertising the post).</p>
---	---	--	--	---

	<p>experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the reserved categories as notified by the Government from time to time. If, at any stage of selection, the Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them: Provided that this relaxation shall not apply in the case of in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- Doctorate degree shall count as three years experience.</p> <p>Note 4.- Whoever does not have the workable knowledge of Hindi, he/she shall be required to acquire the same during his/her probation period.</p>			
<p style="text-align: center;">(11)</p> <p>I. By In-situ upgradation –</p> <p>From the Scientist 'C' with four years' regular service in the grade according to Modified Flexible Complementing Scheme, and possessing the minimum educational qualifications specified for direct recruits under column 7.</p> <p>(ii) – Deputation or Absorption (including short term contract).-</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or University or Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government, Autonomous Organisations-</p>	<p style="text-align: center;">(12)</p> <p>Departmental Promotion Committee for Confirmation. For Scientist 'D'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences – Chairman. 2. Head of at least one of the organization under Ministry of Earth Sciences – Member. 3. At least two experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department to be nominated by the Secretary – Members. 	<p style="text-align: center;">(13)</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>		

<p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 plus Grade Pay of ₹ 6600/- or equivalent in the present cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government will be initially for two years extendable up to five years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- The Officers only from Central Government and State Government shall be eligible for absorption.</p>	
---	--

Name of post	Number of post	Classifications	Pay Band and Grade Pay/ Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Scientist 'C'	230* (2012), (*Subject to variations depending on workload).	General Central Service Group 'A' Gazetted (Scientific), Non - Ministerial.	Pay Band-3 pay scale ₹ 15600-39100 plus Grade Pay ₹ 6600.	Not applicable
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty-five	Essential (i) Master's degree from a recognized University in Physics or chemistry or	Age -No Educational Qualification - Yes.	One year for direct recruits.	By In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme or

<p>years in the case of general candidates and upto fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Mathematics or Geophysics or Geochemistry or Zoology or Biology or Fisheries or Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or Seismology or Computer Applications or equivalent or any other subject considered relevant in the field with at least 60% marks at the qualifying degree level or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with at least 60% marks in the qualifying degree level.</p> <p>(ii) Experience:- Three years' experience in teaching (at graduate or post graduate level), research and development, survey, administration, planning, supervision or training, etc., in the relevant fields.</p> <p>Desirable: (i) Master's degree from recognized University in Engineering or Technology or Doctorate in a branch of Science related to Oceanography or Meteorology or Atmospheric Sciences or any other subject specified as per the requirement. (ii) Experience in policy making, planning or management in the relevant field.</p> <p>Note 1.- The exact educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post, shall be specified at the time of</p>			<p>deputation / absorption (including short-term contract) or by direct recruitment. (Particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the posts keeping in view the job requirements for the same before advertising the post).</p>
--	--	--	--	---

	<p>recruitment by the Central Government.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the reserved categories as notified by the Government from time to time. If, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them: Provided that this relaxation shall not apply in the case of in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.</p> <p>Note 3.- Doctorate degree will count as three years experience.</p> <p>Note 4.- Whoever does not have the workable knowledge of Hindi, he/she is required to acquire the same during his/her probation period.</p>			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>I. By In-situ upgradation -- From the Scientist 'B' with three years' regular service in the grade according to Modified Flexible Complementing Scheme, and possessing the minimum educational qualifications as specified for direct recruits under column 7.</p> <p>Deputation or Absorption (including short-term contract) - Officers under the Central Government or State Government or University or Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government, Autonomous Organisations-</p>	<p>Departmental Promotion Committee for Confirmation. For Scientist 'C'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Ministry of Earth Sciences - Chairman. 2. Head of at least one of the organisation under Ministry of Earth Sciences - Member. 3. At least two experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department nominated by the Secretary - Members. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 plus Grade Pay of ₹ 5400/- or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government will be initially for two years extendable up to four years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2.- The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for In-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme .</p> <p>Note 3.- The officers only from the Central Government and State Government shall be eligible for absorption.</p>		
---	--	--

[F. No. MoES/21/2/2009-Estt.]

Dr. VASUDHA GUPTA, Director (Estt.)